उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F 78716 सी-१/एन/एन.ओ.सी.-६९२/२०१० | 5 दिनांक 12-7-11

सेवा में,

मे0
रेजीडेंसियल टाउनशिप प्रोजेक्ट 'यूनिटेक ग्राण्डे'
सेक्टर-९६, ९७, ९८,
नोएडा

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से /नई इकाई की स्थापना हेतु/~~कार्यरत इकाई~~ की उत्पादन क्षमता में विस्तार /संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनाँक.................................... का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

   (क) स्थल : यूनिटेक ग्रेण्ड, सेक्टर-९६, ९७, ९८, नोएडा

   (ख) उत्पादन : ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट

(ग) मुख्य कच्चे माल :..

....

....

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा :..

....

....

(ड.) प्रयुक्त ईधन :...

....

....

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।

5. **घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा .... से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।**

6. **प्रदूषण नियन्त्रण** हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए **आदेश की प्रति इस** कार्यालय में दिनांक .... तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

७– मै० रेजीडेंसियल टाउनशिप प्रोजेक्ट "यूनिटेक ग्राण्डे" सेक्टर–९६,९७,९८, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर द्वारा १४०.७३ हेक्टेअर प्लाट एरिया के अन्तर्गत कुल बिल्टअप क्षेत्रफल १५६७३१३ वर्गमीटर पर आवासीय भवनो का निर्माण किया जायें।

८– संस्था द्वारा ५७६२ केएलडी उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु ५८०० केएलडी क्षमता का एसटीपी का निर्माण किया जाये।

९– संस्था द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रवाह का पुनः प्रयोग फ्लासिंग, कूलिंग, हार्टिकल्चर आदि कार्यो हेतु किया जायें।

१०– शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डीजीसेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।

११– सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रस्तावानुसार किया जायें तथा बायोडिग्रेडिबुल वेस्ट के लिए वर्मीकमपोस्टिंग की स्थापना की जायें।

१२– संस्था द्वारा प्रस्तावानुसार बायोमेडिकल वेस्ट को फेसेलिटी के माध्यम से ही निस्तारित करें।

१३– समस्त प्रस्तावित डी०जी०सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ–साथ बोर्ड मानको के अनुसार पर्याप्त ऊँचाई की चिमनी भी स्थापित की जायें।

१५– संस्था इ–वेस्ट का निस्तारण प्राधिकृत सस्था को ही किया जायें।

१६– संस्था प्रस्तावनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।

१७– संस्था नियमानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में विकसित करें।

१८– संस्था को यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम,१९७४ एवं वायु अधिनियम,१९८१ के प्राविधानों के अर्न्तगत निर्गत किया जा रहा है।

१९– संस्था को निर्गत बैंक गारण्टी पत्रांक एफ ७७८१६/सी–१/एन/एन०ओ०सी०–६६२/३/२०१० दिनांक–२४.१२.१० का अक्षरशः अनुपालन करा सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिममेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एंव सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक .... तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं. /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र :..
गौतमबुद्धनगर
....

2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :..
नोएडा
....

4. ....
....

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(सर्किल– १)